

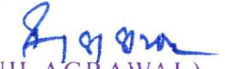
भाग— IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवनसंरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	खरगोन एवं खण्डवा जिले में इन्दौर—एदलाबाद (धनगांव से बोरगांव सेक्शन) के फोरलेन निर्माण/चौड़ीकरण हेतु बड़वाह वनमण्डल की 3.20 हेक्टेयर वनभूमि एवं खण्डवा वनमण्डल की 0.477 हेक्टेयर वन भूमि तथा 0.461 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि कुल 4.138 हेक्टेयर वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, खण्डवा को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	---

तिथि:— 18/08/2022

स्थान:— भोपाल।


(SUNIL AGRAWAL)
Addl. P.C.C.F. (L.M.)
Madhya Pradesh, Bhopal